भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2238
(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी संपरीक्षा

†2238. **श्री एम°के° राघवनः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) को किसी व्यापक संपरीक्षा से रोका है और इसके बजाय जीएसटी लागू होने के दो साल बाद भी केवल एक परीक्षण संपरीक्षा करनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी रोकथाम के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह एक तथ्य है कि जीएसटी की स्थिति परियोजना की तुलना में बहुत खराब है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह चेतावनी दी गई है कि मौजूदा प्रणाली असत्यापित है और इसमें इसके बीजकों की आईटी आधरित कोई चेकिंग नहीं हुई है और इसमें आईटीसी धोखाधड़ी हो सकती है और इसके तहत वित्त वर्ष 2018 के अंत तक 1.77 ट्रिलियन आईजीएसटी अनिष्पादित रह गई है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रणाली में दोषों को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) तथा (ख): जी नहीं।

(ग): जी नहीं। जीएसटी के सफलतापर्वूतक लागू किए जाने से क्रेडिट का अबाध रूप से प्रवाह हो रहा है और करों की बहुलता में कमी आई है, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो गया है। प्रक्रियाओं को सरल बनाये जाने और इनको स्वचालित कर दिए जाने से करदाताओं पर अनुपालन के कुल भार में कमी आई है, जिससे देश में व्यापार करना अधिक आसान हो गया है।

(घ) तथा (ङ): जीएसटी के तहत करदाताओं द्वारा स्व:आकलन के आधार पर रिटर्न फाइल किया जाता है। करदाता फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरते समय अपनी कर देयता की घोषणा करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक करदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह फार्म जीएसटीआर-1 में अपनी बाह्य आपूर्ति की घोषणा करें, जिसका ब्यौरा ऐसे आपूर्ति के प्राप्तकर्त्ता के साथ-साथ क्षेत्राधिकारी को भी ज्ञात हो सके। ऐसी बाहय और आंतरिक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन करने वाले ऐसे तंत्र जीएसटी के अंतर्गत स्वयं नीति-निर्माता तंत्र के रूप में काम करते हैं, जिससे कर अपवचन और अन्य प्रकार के धोखाधड़ी की प्रवृत्ति रुकती है ।

आईजीएसटी के अंतर्गत अनसुलझी राशि को कम करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 49 में संशोधन किया गया है। इस संशोधित प्रावधान के अनुसार करदाता के लिए यह जरूरी है कि वह सबसे पहले अपनी करदेयता को पूरा करने के लिए सीजीएसटी/एसजीएसटी क्रेडिट का लाभ लेने के पहले अपनी आईजीएसटी क्रेडिट का उपयोग करें। विगत तीन महीनों के दौरान हुई आईजीएसटी की वसूली और समाधान का ब्यौरा इस प्रकार है:

करोड़ रुपए में

माह	आईजीएसटी की वसूली	आईजीएसटी का रिफंड	निवल आईजीएसटी	समाधान
अगस्त 2019	48958	6025	42933	45788
सितम्बर 2019	45069	9054	36015	42941
अक्टूबर 2019	46517	7741	38766	40613

*****